

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
4. सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2017

विषय:-आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र स्कीम के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) का निर्धारण।

महोदय,

अवगत हैं कि विभाग द्वारा आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र स्कीम का संचालन सम्प्रति प्रदेश के 17 जनपदों यथा-लखनऊ, कानपुर नगर, कन्नौज, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, गाजीपुर, बरेली, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर, झाँसी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, मिर्जापुर, बांदा में किया जा रहा है। इस स्कीम के अर्न्तगत रिपोर्टिंग व कार्य प्रगति के अवलोकन के लिये निर्धारित प्रपत्रों एवं उनके भरने हेतु मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) का निरूपण किया गया है।

2. इस क्रम में यह अनुरोध है कि कृपया उक्त मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों को भरने आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त स्कीम का अनुश्रवण एवं समीक्षा सम्यक रूप से किया जा सके। प्रश्नगत मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3050 (1)/60-3-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. महिला कल्याण निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।